होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय ...

आदेश

नगर सेना नियम 1947 की धारा–16 के द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये होमगार्ड विभाग के अधिकारियों के अवकाश के संबंध में निम्नांकित आदेश प्रसारित किये जाते है :–

1– डिवीजनल कमाण्डेन्ट/कमाण्डेन्ट, सी0टी0आई0 के आकस्मिक अवकाश पुलिस महानिरीक्षक होमगार्ड द्वारा स्वीकृत किये जावेंगे। उनके अवकाश में रहने पर एडीशनल कमाण्डेन्ट जनरल द्वारा आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जावेंगे। अर्जित अवकाश महानिदेशक होमगार्ड द्वारा स्वीकृत किये जावेंगे।

2– जिला सेनानी होमगार्ड एवं उसी स्तर के अधिकारी के आकस्मिक अवकाश संबंधित डिवीजनल कमाण्डेन्ट/कमाण्डेन्ट, सी0टी0आई0 द्वारा स्वीकृत किये जावेंगे। 10 दिन का अर्जित अवकाश पुलिस महानिरीक्षक होमगार्ड द्वारा तथा 10 दिवस से अधिक का अर्जित अवकाश महानिदेशक होमगार्ड द्वारा स्वीकृत किये जावेंगे।

3– अवकाश पर प्रस्थित होने की सूचना जिला स्तर पर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को तथा संभाग स्तर पर कमिश्नर को संबंधित अधिकारी स्वयं देवेंगे।

4– यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी डिवीजनल कमाण्डेन्ट या उस स्तर का अधिकारी एवं जिला सेनानी उपरोक्त आदेश की अव्हेलना करने पर कर्तव्य से अनुपस्थित माना जावेगा। तद्नुसार उसे उस अवधि का वेतन देय नहीं होगा एवं कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

5– अवकाश अवधि में शासकीय वाहन का उपयोग कतई न किया जावे। अवकाश अवधि में शासकीय वाहन का उपयोग पद का दुरूपयोग माना जावेगा तदानुसार अनुशासिक/वैधानिक कार्यवाही प्रस्तुत की जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सही/–

(मैथिलीशरण गुप्त)
महानिदेशक
होमगार्ड मध्यप्रदेश

क्रमांक / 637 /पीए/आई0जी0/2015, जबलपुर, दिनांक 08–07–2015.

प्रतिलिपि :–

1-- एडीशनल कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड मध्यप्रदेश, को सूचनार्थ।
2--- सीनियर स्टाफ आफीसर (स्था0/प्रशि0)/(वित्त) होमगार्ड मध्यप्रदेश, को पालनार्थ।
3--- कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होमगार्ड, मंगेली, जबलपुर को पालनार्थ।
4— समस्त डिवीजनल कमाण्डेन्ट, होमगार्ड मध्यप्रदेश को पालनार्थ। (नाम से)
2 - समस्त डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेन्ट, होमगार्ड मध्यप्रदेश को पालनार्थ। (नाम से)
3--- स्थापना (1) बी को सूचनार्थ।

8/7/15

पुलिस महानिरीक्षक
होमगार्ड मध्यप्रदेश